



फोन नं. 07723-223834
फैक्स नं. 07723-224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 8687 / जि.प./MGNREGA/2019-20

महासमुन्द, दिनांक: 16/09/2019

प्रेसविज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर रिक्त पद की संविदा भर्ती हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 11601/MGNREGS/जि.पं./2018-19 महासमुन्द, दिनांक 21/12/2018 जारी किया गया था। जिसके तहत कार्यक्रम अधिकारी, पद हेतु दिनांक 08.09.2019 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। प्राप्त दावा आपत्ति का चयन समिति द्वारा निराकरण कर दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं मेरिट सूची व कौशल परीक्षा हेतु 1:10 में अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अतः दिनांक 25.09.2019 को समय प्रातः 11:00 बजे से उपरोक्त पद हेतु कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा आयोजित की गई है। जिसके लिए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी किया गया है। दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं दावा आपत्ति उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तथा दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा हेतु 1:10 में अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन कार्यालयीन सूचना पटल व जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in एवं छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर www.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र भेजा जा रहा है, पत्र नहीं मिलने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा हेतु वेबसाइट पर जारी सूची के अनुसार ही अभ्यर्थी नियत तिथि समय एवं स्थान में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, नियत तिथि व समय पश्चात् उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

महासमुन्द, दिनांक: 16/09/2019

पृ.क्र./ 8688 / जि.प./MGNREGA/2019-20
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, सी-36, द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर को सूचनार्थ। कृपया उक्त सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ शासन की www.cgstate.gov.in के पोर्टल पर Upload करने का कष्ट करेंगे।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ। कृपया उक्त सूची का प्रकाशन जिले की Website में Upload करने हेतु। (आई टी एक्ट 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन किया गया है।)
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द